



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 29, 1976/ ज्येष्ठ 8, 1898

No. 101]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29, 1976/JYAISTHA 8, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रसंग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th May 1976

No. DRAWBACK/PN-49/76.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August, 1971, the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971 as amended from time to time:—

After sub-serial No. 5601 and the entries relating thereto the following sub-serial No. and the entries shall be inserted namely:—

Sub-sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
5602	(i) Leather Footballs/ Rugbyball Covers with or without bladders. (ii) Rubber bladders for (i) above.	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value.

All bracket rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 1976

सं. प्रतिप्रशायगी/सा.सं. 49/76 — सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रशायगी निम्नावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा.सं. 602/2/70 प्र. अ.) के नियम 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिप्रशायगी/पी.एन. 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित मारणी में एतद्वारा, निम्न-लिखित संशोधन करती है:—

उप-क्रमांक 5601 और तत्संबन्धी अविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-क्रमांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायगी, अर्थात्:—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिप्रशायगी की दर
5602	(i) ब्लैडरों सहित अथवा बिना ब्लैडरों के चमड़े के फुटबाल/रबबीबाल के आवरण। (ii) उपर्युक्त (i) के लिये रबड़ के ब्लैडर।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत)।

उपर्युक्त माल के बारे में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिये निर्धारित ब्रांड दरें इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने पर रद्द हो जायगी।

सी.डी. रंगाचारी, उप सचिव।